

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
दोन नहर प्रमंडल, रामनगर
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-02 / 2019-20
राष्ट्रीय स्पर्धा निविदा

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)

1. कार्य का विवरण -

गुप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख ₹० में)	अग्रधन की राशि(लाख ₹० में) (ऑन लाईन अथवा फिजिकल/मैनुअल मोड में भुगतय)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रूपया) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतय ₹० में)	बेल्ट्रॉन को देय बिड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतय ₹० में)	कार्य समाप्ति की तिथि
01	दोन शाखा नहर के वि०दू०-80.00 पर कैनल एवं नदी विंगवाल तथा वि०दू०-191.25 पर स्थित संरचना के डाउनस्ट्रीम में क्षतिग्रस्त नहर विंगवाल का पुर्ननिर्माण कार्य।	183.98	367960.00	10000.00	17700.00	4 Months

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक: 20.02.2020
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की तिथि : दिनांक: 02.03.2020 से दिनांक- 08.03.2020 के 03:00 बजे अपराहन तक की अवधि (सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)
4. प्री-बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : दिनांक:-04.03.2020, 3:00 बजे अपराहन में, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।
5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक:-09.03.2020 समय 3:00 बजे अपराहन तक। (सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)
6. अग्रधन की मूल प्रति प्राप्त करने की तिथि एवं समय : दिनांक:-12.03.2020 समय 3:00 बजे अपराहन तक।
7. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक :-13.03.2020 समय 3.30 बजे अपराहन। (सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)
8. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी (सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)
9. निविदा खोलने का स्थान : www.eproc.bihar.gov.in पर
10. निविदा की वैधता अवधि (निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से) : 120 दिन
11. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर।
12. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in एवं वेबसाइट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।
13. कोई भी संवेदक, जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर/राष्ट्रीय स्तर के हों, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना, उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद अनिवार्य होगा।
14. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकिय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
15. ई- निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।



16. (क) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायगा) का भुगतान online mode (e-Payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
- (ग) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि online mode (e-Payment mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा। Online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTG के माध्यम से जमा किया जा सकता है। Physical mode/Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि अनुसूचित बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/ डाकघर का बचत पासबुक/ एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा/ राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/ पाँच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड/ राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र **कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर** के पदनाम से निर्गत विधिवत प्रतिज्ञित कर अथवा एक करोड़ से अधिक के कार्य के लिए बिना शर्तवाली बैंक गारन्टी जो बिड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से **कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर** के पक्ष में निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा), इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर/तिरहुत नहर अंचल, बेतिया/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनेटरिंग प्रमण्डल सं०-17, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना के कार्यालय में **दिनांक-12.03.2020** के **3:00** बजे अपराहन तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। (ख) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
- (घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".
17. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक हैं को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
18. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
19. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
20. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
21. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
22. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।
23. Royalty एवं Seigniorage Fee की कटौती खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक-126mc, 127/mc पटना दिनांक-17.10.2017 तथा अधिसूचना सं०-सी.टी. 01/14(खण्ड) 4042/एम. पटना दिनांक-17.10.2017 एवं पत्रांक-3387 दिनांक-27.09.2019 तथा विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापक-599 दिनांक-06.12.2019 के तहत संवेदक के विपत्र से 10% (दस प्रतिशत) उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के मूल्य पर की जायेगी।
24. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई-टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन, पटना (0612-2235241) एवं सहायता कक्ष, एम/22, रोड नं०-25, प्रथम तल्ला, बैंक ऑफ इण्डिया भवन, श्रीकृष्णानगर, पटना से दूरभाष संख्या -7542028164 एवं 0612-2523006 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

27

25. निविदित दर, Serious unbalanced rate होने की स्थिति में, Additional Performance Guarantee, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 3376(E) दिनांक 17.08.2010 के अनुसार जमा करना होगा।
26. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
27. निविदित दर की न्यूनतम सीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से किसी भी प्रतिशत कम तक अनुमान्य होगी। विभागीय पत्रांक 50 दिनांक 20.01.2020 एवं पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं० 447(S) दिनांक 16.01.2020 में निहित प्रावधान के अनुसार Additional Performance Guarantee की राशि जमा करना होगा। लागू होगा।
28. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
29. जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों/पत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदा निस्तार किया जायेगा।
30. जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 536 दिनांक 13.06.2013, के अनुरूप नोटराईज्ड शपथ पत्र जो कार्य विशेष के लिए निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की तिथि के बीच में निर्गत हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा।
31. संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
32. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
33. जल संसाधन विभाग के पत्रांक 200 दिनांक 14.03.2016, 274 दिनांक 18.04.2016 एवं पत्रांक-686 दिनांक-19.08.2014 में निहित प्रावधान लागू होगा।

३०१-

कार्यपालक अभियंता,
दोन नहर प्रमंडल, रामनगर।

पत्रांक: 261 रामनगर /

दिनांक 19/02/2020

प्रतिलिपि: जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं तीन प्रतियों में समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

24
19/02/2020

कार्यपालक अभियंता,
दोन नहर प्रमंडल, रामनगर।